

झारखण्ड विधान सभा



अंगीकृत बिहार राजभाषा (संशोधन) विधेयक, 2011

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

57
अंगीकृत बिहार राजभाषा (संशोधन) विधेयक, 2011

[सभा द्वारा यथापारित]

प्रारम्भिक राज्य के विशिष्ट क्षेत्रों में अतिरिक्त राजकीय प्रयोजनों उर्दू के अतिरिक्त संभासी, मगही, मुन्डारी, खड़िया, कुड़ुख (उरीय), कुरमारी, खोरहा, नामपुरी, चंपरननिया तथा उड़िया भाषा को द्वितीय राजकीय भाषा की मान्यता देने के लिए अंगीकृत बिहार राजभाषा अधिनियम, 1950 को संशोधित खण्ड।

विषय-सूची

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।
2. अंगीकृत बिहार अधिनियम-37, 1950 की धारा-3 में उपधारा-3(क) का समावेशन।

(i) यह अधिनियम "अंगीकृत बिहार राजभाषा (संशोधन) विधेयक, 2011" कहलायेगा।

(ii) इसका विस्तार राज्य के उन क्षेत्रों में होगा तथा यह उपसंहारिक रूप में प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करें।

2. अंगीकृत बिहार अधिनियम-37, 1950 की धारा-3 में उपधारा-3 (क) के रूप में निम्नलिखित उपधारा का जोड़ा जाना-

बिहार राजभाषा अधिनियम, 1950 की धारा-3 में उपधारा-3 (क) के रूप में जोड़ी जायेगी-

"अन्य द्वितीय राजभाषा : राज्य सरकार समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर निर्देश देगी कि उक्त अधिनियमों में निर्दिष्ट क्षेत्र में निर्धारित उद्देश्य के लिए राज्य के भाषा-माधियों के हित में संभासी, मगही, मुन्डारी, डो, खड़िया, कुड़ुख (उरीय), कुरमारी, खोरहा, नामपुरी, चंपरननिया तथा उड़िया भाषा निर्दिष्ट प्रयोजनों द्वितीय राजभाषा उर्दू के अतिरिक्त प्रयोग की जायेगी।"

अंगीकृत बिहार राजभाषा (संशोधन) विधेयक, 2011

[समा द्वारा यथापारित]

झारखंड राज्य के विशिष्ट क्षेत्रों में कतिपय राजकीय प्रयोजनार्थ उर्दू के अतिरिक्त संथाली, बंगला, मुण्डारी, हो, खड़िया, कुडुख (उराँव), कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया तथा उड़िया भाषा को द्वितीय राजकीय भाषा की मान्यता देने के लिए अंगीकृत बिहार राजभाषा अधिनियम, 1950 को संशोधित करने हेतु विधेयक

भारत गणराज्य के 62वें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधानसभा द्वारा यह निम्नलिखित रूप से अधिनियमित हो -

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :

- (i) यह अधिनियम "अंगीकृत बिहार राजभाषा (संशोधन) विधेयक, 2011" कहलायेगा।
- (ii) इसका विस्तार राज्य के उन क्षेत्रों में होगा तथा यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. अंगीकृत बिहार अधिनियम-37, 1950 की धारा-3 में उपधारा-3 (क) के रूप में निम्नलिखित उपधारा का जोड़ा जाना-

बिहार राजभाषा अधिनियम, 1950 की धारा-3 में उपधारा-3 (क) के रूप में जोड़ी जायेगी-

"अन्य द्वितीय राजभाषा : राज्य सरकार समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर निर्देश देगी कि उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट क्षेत्र में निर्धारित अवधि के लिए राज्य के भाषा-भाषियों के हित में संथाली, बंगला, मुण्डारी, हो, खड़िया, कुडुख (उराँव), कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया तथा उड़िया भाषा निर्दिष्ट प्रयोजनार्थ द्वितीय राजभाषा उर्दू के अतिरिक्त प्रयोग की जायेगी।"

यह विधेयक अंगीकृत बिहार राजभाषा (संशोधन) विधेयक, 2011 दिनांक 3 सितम्बर, 2011 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 3 सितम्बर, 2011 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

के द्वारा अंगीकृत बिहार राजभाषा (संशोधन) विधेयक, 2011 दिनांक 3 सितम्बर, 2011 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 3 सितम्बर, 2011 को सभा द्वारा पारित हुआ ।
(चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह)
अध्यक्ष ।

इस विधेयक के अंगीकार के द्वारा अंगीकृत बिहार राजभाषा (संशोधन) विधेयक, 2011 दिनांक 3 सितम्बर, 2011 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 3 सितम्बर, 2011 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

के द्वारा अंगीकृत बिहार राजभाषा (संशोधन) विधेयक, 2011 दिनांक 3 सितम्बर, 2011 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 3 सितम्बर, 2011 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

के द्वारा अंगीकृत बिहार राजभाषा (संशोधन) विधेयक, 2011 दिनांक 3 सितम्बर, 2011 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 3 सितम्बर, 2011 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

के द्वारा अंगीकृत बिहार राजभाषा (संशोधन) विधेयक, 2011 दिनांक 3 सितम्बर, 2011 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 3 सितम्बर, 2011 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

के द्वारा अंगीकृत बिहार राजभाषा (संशोधन) विधेयक, 2011 दिनांक 3 सितम्बर, 2011 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 3 सितम्बर, 2011 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

के द्वारा अंगीकृत बिहार राजभाषा (संशोधन) विधेयक, 2011 दिनांक 3 सितम्बर, 2011 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 3 सितम्बर, 2011 को सभा द्वारा पारित हुआ ।